गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पुर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/ 24974-25567 दिनांक: 19 अगस्त, 2010

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियत्रंण एवं व्यावसायिक
संस्थाएं ।

विषय- सत्र 2010-11 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं से प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संस्था में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सत्र 2010-11 हेतु शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिये लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। समिति द्वारा जिन संस्थाओं की सत्र 2010-11 के लिये शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, उन संस्थाओं की पाठ्यकमवार शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है।

उक्त के अतिरिक्त जिन संस्थाओं ने प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित तिथि तक किन्ही कारणवश अपना प्रस्ताव प्रेषित नही किये गये, उन संस्थाओं की भी पाठ्यकमवार शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। ऐसी संस्थाओं की सूची भी समिति के उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फीस स्ट्रक्चर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ac.in से भी लिंक किया गया है।

अत: आपसे अपेक्षा है कि समिति द्वारा सत्र 2010-11 के लिये जिन संस्थाओं का शिक्षण शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, वे संस्थाएं सत्र 2010-11 में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त जिन संस्थाओं द्वारा समिति को निर्धारित तिथि के अंदर प्रस्ताव प्रेषित नही किये है, उन संस्थाओं के भी पाठ्यकमवार शिक्षण शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया गया है। ऐसी

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

संस्थाओं द्वारा उक्त निर्धारित शिक्षण शुल्क ही नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना सुनिश्चित किया जाय ।

इसी संदर्भ में यह भी सूचित करना है कि संस्थाओं में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से विश्वविद्यालय के पत्र सं0 जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2010/16277-16870, दिनांक 15.7.10, पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/19172-19765, दिनांक 31 जुलाई, 2010 तथा पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24256-24849, दिनांक 18 अगस्त, 2010 द्वारा शुल्क के विषय में दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत ही संस्था स्तर पर कार्यवाही की जाए। उक्त की सूचना के साथ अपेक्षा है कि कृपया संस्था स्तर पर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0, महामहिम सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. वित्त अधिकारी, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।
4. परीक्षा नियत्रंक, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185